

REMS- 2020/00094
 न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 48/2020

तारीखरजु:- 14.7.2020

उनवान:- हरिप्रसाद बनाम उम्मेद वगै०

दावा वावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
14.7.2020	वादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188 आर टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 27.07.2020 को पेश हो। [Signature] उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	266996 14/7/2020
27.7.20	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं० 8, 12, 13, 16, 18, 25 स्वयं उपस्थित एवं इनकी ओर से श्री राजकुमार सिंह राजवत व्वा. नि. व्वालनामा पेश किया। P.O. साहू करौली सीटिंग में पधारे है। अर्थात् दिनांक 24.8.20 को पेश हो। [Signature]	श्री इनामाल रामधरानी शर्मा
24.8.20	वकील अभ्यक्ष उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 कावजूद सूफा उपस्थित नहीं है प्रतिवादी नम्बर 25 का सम्मन हाइम तामील ले प्राप्त हुआ है प्रतिवादी नम्बर 10, 19, 24 के सम्मन वाद तामील शक्ति प्राप्त नहीं है P.O. सा० अक्काश पपघोर है पत्रावली दिनांक 21.9.20 को पेश हो। [Signature]	श्री [Fingerprint] रजिस्ट्रार
21.9.20	वक्ताय उप०। उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी नं० 1, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं० 10, 19, 24 की पुनः तलब की शरत पर पत्रावली दिनांक 7.10.20 को पेश हो। [Signature]	[QR Code]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
19 ⁶ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। गाडी मुप वाडी पकीच कोठी उपस्थित नहीं। वार 2 भाषा (ग/डिक्टरी) गडी इसके वापस गी कोठी उपस्थित नहीं हुआ इसीलिए वाड मुप वाडी पकीच का दाया नावल लफाना खपानी निवेद्याज्ञा वाड मुप वाडी पकीच की ठाडम डायरी ठाडम पेश की जो खपानी निवेद्याज्ञा (जाल है)। पत्रावली पेशाव कुमा डीकर सम्बन्धित कम कर डायरी उपस्थित है</p>	

हो।
 प्रो.
 के
 सेवा
 25/10/20
 0 10/25
 10/25 कि

10/25
 10/25

10/25
 10/25

?